AFR

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
CRA No. 809 of 2019

- दिल्लो सिंग एलियस दुल्लो राम, पिता शंकर सिंग, उम्र 22 वर्ष, व्यवसाय- कृषक, साकिन- ग्राम चौरा, बधानी, झरिया, थाना- राजपुर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज, छ.ग.

---- अपीलार्थी

विरुद्ध

- छ.ग. शासन, द्वारा थाना प्रभारी पुलिस थाना राजपुर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज, छ.ग.

---- उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री सुर्यकांत मिश्रा एवं श्री एस.ए. अंसारी अधिवक्ता,
उत्तरवादी/शासन की ओर से	:	श्रीमती मधुनिशा सिंह, पी.एल.,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा,
माननीय श्री न्यायमूर्ती गौतम **चौरड़िया,** जे.जे.
बोर्ड पर निर्णय द्वारा- न्यायमूर्ती गौतम **चौरड़िया**

31/07/2019

यह अपील अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अपर न्यायाधीश, रामानुजगंज, जिला– बलरामपुर (छ.ग.) द्वारा एस.टी. क्रमांक आर–94/2017 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और कारावास के आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2019 से

उत्पन्न होती है, जिसके तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराया जाकर निम्नानुसार सजा सुनाई गईः

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भा.द.सं. की धारा 302 के तहत	अजीवन कारावास, 5000/– रुपय अर्थदण्ड, इसके व्यतिक्रम में एक वर्ष का अतिरिक्त कठिन कारावास
भा.द.सं. की धारा 201 (भाग–1) के तहत	सात वर्ष का कठिन कारावास, 1000/– रुपय अर्थदण्ड, इसके व्यतिक्रम में एक वर्ष का अतिरिक्त कठिन कारावास

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

02. अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनांक 25.8.2017 को प्रार्थी धरभरन सिंह (अ.सा–1) द्वारा पुलिस स्टेशन में मर्ग इनटिमेशन दर्ज कराया गया कि सुबह लगभग 5–6 बजे राजपुर उनकी बेटी प्रीति ने उनहे बताया कि कुएं में आशीष का शव है, वह गई वहां कुएं में आशीष का शव देखा। जब उनके द्वारा इस बारे में मृतक की मां से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आशीष दिनांक 23.8.2017 की रात्रि से घर वापस नही आया है। मर्ग जांच के दौरान गवाहों के बयानों से पता चला कि 22.8.2017 को 10–10.30 बजे अपीलार्थी और मृतक के बीच विवाद हुआ था और अपीलार्थी ने मृतक पर बांस की छड़ी से हमला किया और उसने मृतक को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस घटना के समय मो.सुखराम (अ.सा.–4)

भी वहां उपस्थित था। शव परीक्षण प्रदर्श पी./4 के तहत जांच की गई और उसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मंगवाया गया जो 25.8.2017 को ही किया गया था। शव परीक्षण सर्जन (अ.सा.–8 डॉ. रामप्रसाद तिर्की) ने अपनी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में (प्रदर्श पी.P/9A) मृतक के व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटें/लक्षण पाए:

> **बाहरी परीक्षण** – मुँह बंद, आँखें बंद, ऊपरी और निचले दोनों अंगों में कठोरता, पैर और हाथ में धोबी जैसा रूप, नथुने से खून बह रहा है, गला जाम है, गुदा से मल का निकलना, छाती की दीवार के अंदर जमाव। शरीर के अन्य हिस्से में कोई बाहरी चोट नहीं दिखी।
>
> **आंतरिक जांच**– पेट खाली है, छाती की दीवार में जमाव और दाएं और बाएं फेफड़े में जमाव और श्वासनली की दीवार संकुचित है, फेफड़े और श्वासनली में कोई झाग नहीं है। बड़ी आंत और छोटी आंत, प्लीहा, में मौजूद मल गुर्दे में संकुलन, पल्मोनरी गुहा में रक्त संग्रह और यकृत के दाहिने लोब का फटना, मूत्राशय खाली और पेरिटोनियल गुहा में रक्त संग्रह।"

उनके अनुसार, मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी और पुलिस जांच से संबंधित थी। उनके अनुसार, मृत्यु का कारण महत्वपूर्ण अंग में आंतरिक चोट थी और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संभवतः दम घुटने से हुई थी, और यह मृत्यु पोस्टमॉर्टम जांच से 24 से 48 घंटे पहले हुई थी।

अपीलार्थी (प्रदर्श पी/06) के मेमोरेंडम पर एक बांस की छड़ी प्रदर्श पी/07 के अनुसार जब्त की गई। मर्ग जांच के आधार पर, 3.9.2017 को सहायक उप. निरिक्षक शांति लाल कुजूर द्वारा अपीलार्थी के विरूध धारा 302 और 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया (प्रदर्श पी/16)। अभियोग पत्र पेश होने के बाद, विचारण न्यायालय ने भ.द.सं. की धारा 302 और 201 के तहत आरोप विरचित किए, जिसे अपीलार्थी ने इंकार किया और उसने विचारण की मांग की ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 14 साक्षियों की गवाही ली। अभियुक्त का द.प्र.स. की धारा 313 के तहत बयान भी दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन के प्रकरण में अपने विरुध आ रहे तथ्यों को नकारते हुए अपनी निर्दोषता और झूठे आरोपों की बात की।

04. विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षों के वकीलों की सुनवाई और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद, अपीलित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को दोषी ठहराया और उपरोक्त उल्लेखित सजा सुनाई।

05. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं:

(i) कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और अपीलार्थी की सजा केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, लेकिन कोई भी ऐसी स्थिति प्रस्तुत नही की गई जिससे दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जा सके, और इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हत्या अपीलार्थी ने की थी।

(ii) कि वर्तमान मामले में "आखिरी बार देखा गया" का प्रमाण बहुत ही कमजोर है और जब तक यह प्रमाण अन्य साक्ष्यों से पुष्ट नहीं होता, अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

(iii) कि अभियोजन के सभी महत्वपूर्ण साक्षियों ने अपना पक्ष बदल लिया है और अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

(iv) कि अभियोजन पक्ष हत्या के अपराध के लिए कोई उद्देश्य (मनोबल) भी सिद्ध नहीं कर पाया है।

06. दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने अपीलित निर्णय का समर्थन करते हुए यह कहा है कि अपीलार्थी की सजा पूरी तरह से विधि के अनुक्रम में है और अपीलित निर्णय में कोई अवैधता या दोष नहीं है जो इस न्यायालय से हस्तक्षेप की आवश्यकता उत्पन्न करता हो।

07. संबंधित पक्षों के वकीलों की सुनवाई और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

08. साक्ष्यों की सूक्ष्म जांच से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से अ.सा.–1 धर्भरण सिंह, अ.सा.–2 सीतलाल, अ.सा.–4 सुखराम, अ.सा.–5 जवाला सिंह, अ.सा.–6 विनय @ खिरु और अ.सा.–12 इंद्रावती के बयान पर अपीलार्थी को दोषी ठहराया है, जिन्होंने कहा कि अपीलार्थी 22.8.2017 को रात 8 बजे से 12 बजे के बीच मृतक के साथ था और उसने उक्त तिथि को बांस की छड़ी से मृतक पर हमला किया था।

09. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि 22.08.2017 को रात 8 बजे से 11 बजे के बीच अभियुक्त/अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था, और इसके बाद अपीलार्थी ने मृतक का साथ छोड़ दिया था और मृतक का शव 25.08.2017 को एक कुएं से बरामद हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. *रामबक्ष उर्फ जलिम बनाम राज्य छत्तीसगढ़ (AIR 2016 SC 2381)* के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "आखिरी बार देखा गया" के प्रमाण पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

> *"10. यह स्थापित विधि है कि केवल इस आधार पर अभियुक्त के खिलाफ सजा नहीं दी जा सकती कि अभियुक्त को मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया था। दूसरे शब्दों में, केवल आखिरी बार एक साथ देखे जाने के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। सामान्यत: "आखिरी बार देखा" सिद्धांत तब लागू होता है जब अभियुक्त और मृतक को आखिरी बार जीवित अवस्था में देखने और मृतक के मृत अवस्था*

में पाए जाने के बीच का समय इतना छोटा होता है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध करने की संभावना असंभव हो जाती है। सजा देने के लिए, सिर्फ आखिरी बार एक साथ देखे जाने का प्रमाण पर्याप्त नहीं होता और अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की पूरी कड़ी स्थापित करनी होती है ताकि अभियुक्त की दोषिता साबित की जा सके।

11. इसी तरह के तथ्यों में, इस न्यायालय ने कृष्णन बनाम राज्य तमिलनाडु [(2014) 12 SCC 279] के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया:

> *"21. सजा सिर्फ इस आधार पर नहीं दी जा सकती कि अभियुक्त को मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया था। अर्जुन मरिक बनाम राज्य बिहार (1994) Supp (2) SCC 372 में:*
>
> *31. इस प्रकार, यह प्रमाण कि अपीलार्थी 19–7–1985 की शाम को सीताराम के पास गए थे और रात भर मृतक सीताराम के घर पर रहे थे, बहुत ही कमजोर और अधूरा है। यहां तक कि अगर यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि वे वहाँ थे, तो यह अधिकतम यह सिद्ध कर सकता है कि अपीलार्थी को मृतक के साथ आखिरी बार एक साथ देखा गया था। लेकिन यह स्थापित क़ानून है कि केवल आखिरी बार एक साथ देखे जाने का तथ्य परिस्थितियों की कड़ी को पूरा नहीं करता, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि यह केवल अभियुक्त के दोष के सिद्धांत के साथ संगत है और इसलिए, सिर्फ उसी आधार पर कोई सजा नहीं दी जा सकती।"*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इस न्यायालय ने बोधराज बनाम राज्य जम्मू और कश्मीर (2002) 8 SCC 45 के मामले में यह निर्णय दिया था:

"31.आखिरी बार देखा गया सिद्धांत तब लागू होता है जब अभियुक्त और मृतक को आखिरी बार जीवित अवस्था में देखने और मृतक के मृत अवस्था में पाए जाने के बीच का समय इतना छोटा होता है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध करने की संभावना असंभव हो जाती है।

ऐसे मामलों में जहां कोई अन्य सकारात्मक प्रमाण नहीं है, यह दोष का निष्कर्ष निकालना जोखिमपूर्ण होगा कि अभियुक्त और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करने में छह दिनों की अज्ञात देरी हुई है। अभियोजन के अनुसार, मृतक मणिकंदन को 4-4-2004 को वड्क्कुमेलूर गांव में पंगुनी उथिराम उत्सव के दौरान मरीयम्मन मंदिर में आखिरी बार देखा गया था। मृतक का शव एक बोरवेल से सात दिन बाद फायर सर्विस कर्मचारियों द्वारा निकाला गया था ।रिकॉर्ड पर कोई अन्य सकारात्मक सामग्री नहीं है जो यह दिखाती हो कि मृतक को अभियुक्त के साथ आखिरी बार देखा गया था, और सात दिनों की अवधि में मृतक के संपर्क में कोई अन्य व्यक्ति नहीं था।

24. जसवंत गीर बनाम राज्य पंजाब (2005) 12 SCC 438 में इस कोर्ट ने यह कहा था कि परिस्थितियों के प्रमाणों में किसी अन्य कड़ी के बिना, अभियुक्त को सिर्फ "आखिरी बार एक साथ देखा गया" के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, भले ही इस संदर्भ में अभियोजन के गवाहों का बयान सही माना जाए।

12. वर्तमान मामले में जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त नंबर 2 को आखिरी बार देखे जाने के प्रमाण के आधार पर दोषी ठहराया, जिसकी सत्यता भी संदिग्ध है। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त तथ्य का सही मूल्यांकन नहीं किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय को सही ठहराने में त्रुटि की। हमें संतुष्ट हैं कि अपीलार्थी की सजा कानून में कायम नहीं रह सकती और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

11. इसी तरह, *कन्हैया लाल बनाम राज्य राजस्थान* (2014 AIR SCW 1828) में यह निर्णय दिया गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. आखिरी बार एक साथ देखे जाने का तथ्य अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि अपराध अभियुक्त ने ही किया था। अभियुक्त और अपराध के बीच कुछ और कड़ी होनी चाहिए, जो इस संबंध को स्थापित करे। हमारे विचार में, अपीलार्थी द्वारा कोई स्पष्टीकरण न देना अपने आप में उसकी दोषिता का प्रमाण नहीं हो सकता।

14, आखिरी बार देखा गया सिद्धांत – अपीलार्थी का मृतक के साथ गया होना, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उसके खिलाफ उपलब्ध एकमात्र परिस्थितिजन्य प्रमाण है। अपीलार्थी की सजा केवल संदेह पर, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, या केवल उसकी चुप्पी पर आधारित नहीं रखी जा सकती।" इन तथ्यों का महत्व और भी बढ़ जाता है, खासकर यह देखते हुए कि अपराध का उद्देश्य (मनोबल) साबित नहीं हुआ है, विशेष रूप से जब यह साबित हो चुका है कि अभियुक्त और मृतक के

बीच लंबे समय तक सौहार्दपूर्ण संबंध थे। यह स्थिति माधो सिंह बनाम राज्य राजस्थान (2010) 15 SCC 588 के मामले से काफी समानता रखती है।

12. अ.सा.–1 धर्भरण सिंह अनुक्षुत साक्षी हैं क्योंकि उन्हें अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़े की घटना के बारे में अ.सा–4 सुखराम और अ.सा.–6 विनय @ खिरु से जानकारी मिली। अ.सा.–2 सीतलाल, मृतक के पिता ने कहा कि मृतक घटना के दिन अपीलार्थी के साथ गया था और उसके बाद वह घर वापस नहीं आया। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग एक घंटे बाद, अपीलार्थी उनके घर आया और मृतक के बारे में पूछताछ की, इस पर उन्होंने (गवाह ने) कहा कि मृतक अपीलार्थी के साथ गया था और उसके बाद वापस नहीं आया। उस समय, अपीलार्थी ने धमकी दी कि मृतक ने उससे पैसे लिए थे और वह उसे मारने वाला था। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद उनका बेटा/मृतक घर वापस नहीं आया। अ.सा.–3 कुमारी प्रीति ने मृतक का शव कुएं में देखा और इसके बारे में अपने पिता अ.सा.–1 को सूचित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अ.सा–4 सुखराम ने कथन किया कि घटना के दिन लगभग 9 बजे जब वह एक किराने की दुकान के पास खड़ा था, तो अपीलार्थी और जवाला सिंह (अ.सा–5) वहां आए, और अपीलार्थी ने उनसे झगड़ा करना शुरू किया। इस बीच मृतक आशिष वहां आया। अपीलार्थी और मृतक के बीच लड़ाई हुई और वह (गवाह) वहां से भाग गया, जबकि आशीष घटनास्थल पर मौजूद था। कुछ समय बाद, जब वह

मृतक के साथ सोधन के घर की ओर जा रहे थे, अपीलार्थी रास्ते में उनसे मिला और मृतक पर बांस की छड़ी से हमला करना शुरू किया। उन्होंने कथन किया कि इस घटना के बाद वह अपने घर गया और वहीं सो गया, और अपीलार्थी भी उनके घर आया। वह स्वीकार करते हैं कि अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़े के 2–3 दिन बाद, मृतक का शव कुएं से बरामद हुआ। प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी और मृतक के बीच मारपीट की घटना के बाद, वह और अपीलार्थी खोबो के घर गए और वहां सो गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अ.सा.–5 जवाला सिंह ने भी कहा कि घटना के दिन लगभग 10 बजे अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़ा हुआ और लगभग 4 दिन बाद मृतक का शव कुएं से बरामद हुआ। अ.सा–6 विनय @ खिरु ने कहा कि घटना के दिन लगभग 8 बजे अपीलार्थी और जवाला सिंह के बीच विवाद हुआ था, जो सोधन के घर के पास हुआ था, और उसके बाद अपीलार्थी और सुखराम (अ.सा–4) के बीच झगड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि उसी दिन अपीलार्थी ने मृतक पर बांस की छड़ी से हमला किया और डर के मारे वह वहां से भाग गए।

15. रामगुलाम (अ.सा.–7) अपीलार्थी के मेमोरेंडम (प्रदर्श पी.–6) और जब्ती (प्रदर्श पी.–7) के गवाह हैं, लेकिन यह गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं। अ.सा.6 राम प्रसाद तिरकी ने मृतक का पोस्टमॉर्टम किया और उनके शरीर पर कुछ चोटें/लक्षण पाए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। उनके अनुसार, मृत्यु का कारण

महत्वपूर्ण अंग में चोट थी और शायद दम घुटने के कारण हुई थी, और मृत्यु पोस्टमॉर्टम परीक्षा से 25 से 48 घंटे पहले हुई थी।

16. अ.सा.–9 सहायक उप निरीक्षक उमेंश राम भगत ने जांच के एक भाग को अंजाम दिया। आ.सा–10 अमृत सिंह, पटवारी ने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी.–14 तैयार किया और पंचनामा प्रदर्श पी.–5 बनाया। अ.सा. रामप्रसाद, जो मेमोरेंडम प्रदर्श पी.–6 और जब्ती प्रदर्श पी.–7 के गवाह थे, पक्षद्रोही हो गए। अ.सा.12 श्रीमती इंद्रावती, मृतक की मां ने कहा कि घटना के दिन, अपीलार्थी/अभियुक्त और जवाला सिंह (अ.सा.–5) उनके घर आए थे और उनके बेटे आशीष को उनके साथ ले गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि रात करीब 12 बजे अपीलार्थी उनके घर आया और हाथ में लकड़ी लेकर मृतक के बारे में पूछताछ की, जिस पर उन्होंने बताया कि वह (यह गवाह) के साथ गया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद उनका बेटा घर वापस नहीं आया। उन्होंने यह भी बताया कि अपीलार्थी ने मृतक को मारने की धमकी दी थी क्योंकि मृतक ने उससे पैसे लिए थे। अ.सा.–13 शांति लाल कुजुर, जांच अधिकारी ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। आ.सा.–14 ASI रमेश कुमार ने प्रदर्श पी.–1 के तहत मर्ग सूचना दर्ज की।

17. इस प्रकार, अभियोजन गवाहों के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी और मृतक के बीच मारपीट की घटना 22.08.2017 को रात 8 बजे से 12 बजे के बीच हुई थी, जबकि मृतक का शव 25.08.2017 को कुएं से बरामद किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–9A के अनुसार, पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर अ.सा.–8 ने यह राय दी है कि मृतक की मृत्यु पोस्टमॉर्टम परीक्षा से 24 से 48 घंटे पहले हुई थी, जो कि 25.08.2017 को 3:30 बजे की गई थी, अर्थात मृतक की मृत्यु 23.08.2017 या 24.08.2017 को 3:30 बजे के आसपास हुई होगी।

18. यह एक स्थापित विधि का सिद्धांत है कि "आखिरी बार देखा गया" सिद्धांत पर दोषसिद्धि आधारित करने के लिए अभियोजन को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि जब अभियुक्त को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था और मृतक के शव की बरामदी के बीच समय अंतराल इतना छोटा है कि इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध को करने वाला व्यक्ति केवल अभियुक्त ही हो सकता है, और अन्य कोई नहीं। हालांकि, वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अभियुक्त को अंतिम बार मृतक के साथ देखे जाने और उसकी मृत्यु के बीच एक लंबे समय का अंतराल है। अत: अभियोजन अभियुक्त के दोष को "आखिरी बार देखा गया" सिद्धांत के आधार पर विधि के अनुसार प्रमाणित करने में सफल नहीं हो पाया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. यहां तक कि चिकित्सा साक्ष्य भी निर्णायक नहीं हैं। पोस्टमॉर्टम करने वाले चिकित्सक ने मृत्यु के कारण के बारे में निश्चित राय नहीं दी है। चिकित्सक के अनुसार मृत्यु का कारण महत्वपूर्ण अंग में चोट हो सकती है, या यह दम घुटने के कारण हो सकता है। हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लिखित चोटों की जांच करने पर यह देखा गया कि मृतक के किसी महत्वपूर्ण अंग पर इतनी गंभीर चोट नहीं थी,

जो उसकी मृत्यु का कारण बन सकती थी। डॉक्टर ने मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई, जबकि अभियोजन गवाहों के अनुसार, अभियुक्त ने मृतक पर बांस की छड़ी से हमला किया था। हालांकि, अभियुक्त के मेमोरेंडम प्रदर्श पी–6 पर बांस की छड़ी/लठी की जब्ती प्रदर्श पी–7 के अनुसार की गई थी, मेमोरेंडम और जब्ती के गवाहों ने अभियोजन के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया। अन्यथा, अभियुक्त के कब्जे से जब्त किया गया यह अपराध का हथियार मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में महत्वपूर्ण नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. इसलिए, मामले के कुल तथ्यों और परिस्थितियों, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की प्रकृति और गुणवत्ता, और "लास्ट सीन थ्योरी" के संबंध में स्थिर कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि रामब्रकश @ जलिम और कान्हैया लाल (सुप्रा) के मामलों में स्थापित किया गया है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि आरोपी/अपीलकर्ता का अपराध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर संदेह से परे साबित हुआ है। हालांकि, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई परिस्थितियाँ उनके खिलाफ संदेह उत्पन्न करती हैं, लेकिन केवल संदेह के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने भ.द.सं. की धारा 302 और 201 के तहत अपीलकर्ता को

दोषी ठहराने में अवैधता की है। अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए उक्त आरोपों से मुक्त किया जाना चाहिए।

21. परिणामस्वारूप, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय को यहां रद्द किया जाता है और अपीलकर्ता को भ.द.सं. की धारा 302 और 201 के तहत आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता को जेल में होने की सूचना प्राप्त है, इसलिए, यदि उसे किसी अन्य अपराध से संबंधित हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

–सही–
(प्रशांत कुमार मिश्रा)
न्यायाधीश

–सही–
(गौतम चौरड़िया)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**